

भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2509
दिनांक 06.08.2024 को उत्तरार्थ

पंचायतों का डिजिटलीकरण

2509 श्री मितेश पटेल बकाभाई
श्री हसमुखभाई सोमाभाई पटेल:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पंचायतों के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यक्रम चलाए गए हैं; और

(ख) अधिक डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने में सरकार के उद्देश्य क्या हैं?

उत्तर

**पंचायती राज राज्य मंत्री
(प्रोफ. एस.पी. सिंह बघेल)**

(क) और (ख) मंत्रालय, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, पंचायतों को स्थानीय स्वशासन के रूप में अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) को कार्यान्वित कर रहा है। अतीत की उपलब्धियों के आधार पर, मंत्रालय ने 24 अप्रैल, 2020 को ई-पंचायत एमएमपी के तहत पंचायतों के लिए कार्य-आधारित व्यापक एप्लिकेशन ई-ग्रामस्वराज लॉन्च किया। इस एप्लिकेशन में एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन भुगतान सहित पंचायतों के कामकाज के सभी पहलुओं जैसे आयोजना, बजटन, लेखांकन, निगरानी, परिसंपत्ति प्रबंधन आदि शामिल हैं। अब तक 2.44 लाख ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2024-25 के लिए अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करके अपलोड किया है। इसके अलावा, 2.06 लाख पंचायतों ने वर्ष 2024-25 के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदान के लिए पहले ही ऑनलाइन लेनदेन पूरा कर लिया है। ई-ग्रामस्वराज को अपनाने संबंधी राज्यवार विवरण **अनुबंध-1** में दिया गया है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत बनाने के लिए ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के तहत ऑडिटऑनलाइन नामक एप्लिकेशन शुरू किया है। इसमें पंचायत खातों के ऑनलाइन ऑडिट की सुविधा है और यह आंतरिक और बाह्य ऑडिट के बारे में विस्तृत जानकारी दर्ज करता है। ऑडिट वर्ष 2022-23 के लिए 2.52 लाख ऑडिट प्लान बनाए

गए हैं और 2.48 लाख ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई हैं।

डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा चरणबद्ध तरीके से भारतनेट परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है, ताकि देश में सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए नेटवर्क तैयार किया जा सके। अब तक देश में भारतनेट परियोजना के तहत 2.17 लाख ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार किया जा चुका है। दिनांक 30.06.2021 को भारतनेट का दायरा देश में ग्राम पंचायतों से आगे सभी बसे हुए गांवों तक बढ़ा दिया गया है। सेवा के लिए तैयार ग्राम पंचायतों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

इसके अलावा, पंचायती राज मंत्रालय ने 29 क्षेत्रों में सेवाओं की प्रदायगी के लिए एक आदर्श पंचायत नागरिक चार्टर/फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिसमें पंचायतों द्वारा अपनाए जाने और कार्यों को अपनी आवश्यकता के अनुसार सुगम बनाने के लिए स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ संरेखित किया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को समयबद्ध तरीके से सेवाएं प्रदान करना, उनकी शिकायतों का निवारण करना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। 'मेरी पंचायत, मेरा अधिकार- जन सेवाएं हमारे द्वार' अभियान 01 जुलाई से 30 सितंबर, 2021 तक चलाया गया। यह अभियान यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी रणनीति के रूप में उभर कर आया है जिसमें ग्राम पंचायतों के पास संबंधित ग्राम सभाओं द्वारा अनुमोदित नागरिक चार्टर हो, जिसमें पंचायत द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों और इस प्रकार की सेवा के लिए समय सीमा को सूचीबद्ध किया गया हो।

आज की स्थिति के अनुसार, 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 2.32 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों ने ग्राम सभा आयोजित की है और 2.15 लाख ग्राम पंचायतों ने अब अपने नागरिक चार्टर को अंतिम रूप दे दिया है।

अनुबंध -I

वित्त वर्ष 2024-25के दौरान पंचायत स्तर पर ई-ग्राम स्वराज को अपनाने संबंधी विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	ग्राम पंचायतों एवं समकक्ष की कुल संख्या	ऑनबोर्ड ग्राम पंचायतें	ऑनलाइन भुगतान करने वाली ग्राम पंचायतें और समकक्ष	ब्लॉक पंचायतों की कुल संख्या	ऑनबोर्ड ब्लॉक पंचायतें	ऑनलाइन भुगतान करने वाली ब्लॉक पंचायतें	जिला पंचायतों की कुल संख्या	ऑनबोर्ड जिला पंचायतें	ऑनलाइन भुगतान करने वाली जिला पंचायतें
1	आंध्र प्रदेश	13325	13285	10657	660	660	572	13	13	13
2	अरुणाचल प्रदेश	2108	2100	63	0	0	0	25	25	3
3	असम	2662	2197	1926	191	191	93	30	27	15
4	बिहार	8054	8054	7120	534	534	451	38	38	35
5	छत्तीसगढ़	11596	11594	9145	146	146	137	27	27	25
6	गोवा	191	189	38	0	0	0	2	2	1
7	गुजरात	14621	14588	9653	248	248	246	33	33	33
8	हरियाणा	6225	6218	4419	143	143	102	22	22	22
9	हिमाचल प्रदेश	3615	3614	2550	81	81	43	12	12	6
10	झारखंड	4345	4345	3869	264	264	240	24	24	23
11	कर्नाटक	5953	5953	5731	238	232	54	31	31	17
12	केरल	941	941	698	152	152	107	14	14	11
13	मध्य प्रदेश	23011	23003	22566	313	313	272	52	52	49
14	महाराष्ट्र	27820	27769	18449	351	351	174	34	34	32
15	मणिपुर	3180	161	17	0	0	0	12	6	3
16	मेघालय	6817	0	0	2241	0	0	3	3	0
17	मिजोरम	842	834	754	0	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	1289	185	0	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	6794	6794	5769	314	314	267	30	30	20
20	पंजाब	13236	13207	4534	152	151	66	22	22	10
21	राजस्थान	11208	11202	8079	361	353	338	33	33	32
22	सिक्किम	199	198	145	0	0	0	6	6	5
23	तमिलनाडु	12525	12524	11045	388	388	385	36	36	36
24	तेलंगाना	12771	12768	11194	540	540	422	32	32	31
25	त्रिपुरा	1176	1176	859	75	75	64	9	9	6
26	उत्तराखंड	7795	7794	6690	95	95	92	13	13	12
27	उत्तर प्रदेश	57691	57691	44538	826	826	788	75	75	75
28	पश्चिम बंगाल	3339	3339	3327	345	345	344	22	21	21
	कुल	263329	251723	193835	8658	6402	5257	650	640	536

अनुबंध -II

सेवा के लिए तैयार ग्राम पंचायतों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल जीपी/टीएलबी	सेवा के लिए तैयार जीपी/ टीएलबी	कार्यशील जीपी/टीएलबी
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	70	81	46
2	आंध्र प्रदेश	13326	12967	5559
3	अरुणाचल प्रदेश	2108	1117	157
4	असम	2662	1634	501
5	बिहार	8054	8860	2892
6	छत्तीसगढ़	11645	9759	1651
7	गोवा	191	0	0
8	गुजरात	14621	14559	11465
9	हरियाणा	6225	6204	1941
10	हिमाचल प्रदेश	3615	415	276
11	जम्मू और कश्मीर	4291	1113	454
12	झारखंड	4345	4646	2296
13	कर्नाटक	5952	6251	3659
14	केरल	941	1130	946
15	लद्दाख	193	193	40
16	लक्षद्वीप	10	9	5
17	मध्य प्रदेश	23011	18105	2754
18	महाराष्ट्र	27911	24597	3877
19	मणिपुर	3812	1479	21
20	मेघालय	6831	696	27
21	मिजोरम	841	529	61
22	नागालैंड	1304	233	13
23	ओडिशा	6794	7099	3337
24	पुडुचेरी	108	101	94
25	पंजाब	13238	12807	9432
26	राजस्थान	11208	8997	6421
27	सिक्किम	199	54	6
28	तमिलनाडु	12525	9882	3449
29	तेलंगाना	12771	10915	5812
30	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	38	41	19
31	त्रिपुरा	1176	771	424
32	उत्तर प्रदेश	57691	47341	3921
33	उत्तराखंड	7795	2014	1127
34	पश्चिम बंगाल	3339	2958	2319
कुल		268841	217557	75002

*कुछ जीपी में 1से अधिक सेवा बिंदु हो सकते हैं।